न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर
बइजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 20/2019

1. तोलाराम पुत्र रूसीराम।
2. सम्पत पुत्री रूसीराम दोनों जाति मेघवाल, निवासी झलालड़, तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1. किसनाराम पुत्र गणपत।
2. प्रहलादराम पुत्र गणपत।
3. डूंगाराम पुत्र गणपत।
4. छैलूराम पुत्र गणपत।
5. सीरूदेवी पत्नी गणपतराम।
6. कानी देवी पुत्री गणपतराम।
7. फैना पुत्री गणपतराम।
8. पप्पूराम पुत्र रूघाराम।
9. बाउ देवी पुत्री रूघाराम।
10. धेवरी पुत्री रूघाराम।
11. जगाराम उर्फ जगदीश पुत्र पूर्णाराम।
12. ईन्द्रा पुत्री पूर्णाराम।
13. श्रवणराम पुत्र पेमाराम।
14. श्यामाराम पुत्र आशाराम।
15. सालगराम पुत्र आशाराम।
16. तनसुखराम पुत्र आशाराम।
17. रामेश्वरी पत्नी आशाराम।
18. रामकंवरी पुत्री आशाराम।
19. नर्मदा पुत्री आशाराम।
20. बुधाराम पुत्र मिस्साराम।
21. जेताराम पुत्र मिस्साराम।
22. भोलीदेवी पत्नि मिस्साराम, सभी जाति मेघवाल निवासीगण झलालड़, तहसील जायल जिला नागौर।
23. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर.टी.एक्ट 1956

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण की और से।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादीगण सं. 01 से 22 की ओर से।

Scanned by CamScanner

--::निर्णय ::--

दिनांक : 22.07.2019

वाद वादीगण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता रूसीराम तथा गणपतराम सगे भाई थे जो दोनों फौत हो चुके है। रूसीराम के उतराधिकारी वादीगण है। तथा खतौनी में दर्ज उनकी माता बाजुदेवी का भी स्वर्गवास हो गया है। गणपतराम के उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 है। सभी एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके पुश्तैनी खेताय वाके ग्राम झलालड़ की सरहद में अन्य खेतों व सहखातेदारों के साथ खसरा नं. 178 रकबा 10.09 बीघा में से 1/2 हिस्सा, खसरा नं. 248 रकबा 6.09 बीघा, खसरा नं. 282 रकबा 13.00 बीघा में से 1/3 हिस्सा, खसरा नं. 176 रकबा 11.03 बीघा तथा खसरा 247 रकबा 25.18 बीघा में से 1/4 हिस्सा स्थित है। खतौनी संख्या 90 में दर्ज जिमनादेवी फौत हो चुकी है। इनमें से कुछ भूमियां बैकों के नाम रहन है लेकिन जिस खातेदार के हिस्से की भूमियां रहन है उनके हिस्से इस दावा से प्रभावित नहीं हो रहे है इसलिए सम्बन्धित बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अलावा खाता संख्या 164 में सहखातेदार भंवरसिंह, दयालसिंह, अमरसिंह व प्रेमसिंह के 1/4 हिस्से को प्रभावित नहीं किया गया है। अतः उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज श्री मंगलाराम अपने ननीहाल आकर रहे थे सो अन्य खातेदार उनके भाईबंध न होकर उनके ननीहाल पक्ष के है लेकिन खतोनियों में उनके साथ नाम है। खातेदारों के साथ नाम रहने से खातों में उलझन भी होती है इसलिए वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 अपनी भूमियों को अलग करवाने के लिए यह प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 अपनी भूमियों को अलग करवाने के लिए यह दावा पेश कर रहे है। अब वादीगण तथा प्रतिवादीगण अपनी भूमियों का आपस में बंटवाड़ा कर लिया है लेकिन इस बंटवारे का राजकीय रेकर्ड में अमल दरामद न होने के कारण यह दावा वास्ते विभाजन पेश है।

वाद के अनुच्छेद संख्या 2 में पक्षकारान के विभाजन का स्कीम दर्ज की। वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत केम्प 2018 के दौरान प्रस्तुत किया गया तथा बाद में केम्प धारणा में दिनांक 19.06.2018 को पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनाम बमौजूदगी तहसीलदार तथा सरपंच ग्राम पंचायत धारणा के समक्ष पेश किया जो शामिल पत्रावली है। इसके बाद दिनांक 01.02.2019 को वादीगण की और से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों में से खाता संख्या 154 में दर्ज भूमियों खसरा नं. 247 रकबा 25.18 बीघा में सहखातेदार भंवरसिंह, दयालसिंह, अमरसिंह, प्रेमसिंह, पुत्रगण भेरूसिंह अभी अपनी भूमियो का विभाजन करवाने में सहमत नहीं है तथा वादीगण अपना अन्य भूमियों का विभाजन जल्दी ही करवाना चाहते है। अतः वादीगण का निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नं. 247 रकबा 25.18 को यथावत रखते हुए बाकी खसरान् का विभाजन कर दिया जावे। इस पर खसरा नं. 247 को अलग रखते हुए वाद का दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में ही राजीनामा पेश किया जा चुका है तथा उन सभी की ओर अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने वकालतनाम पेश किया। तहसीलदार जायल भी बरवक्त राजीनाम तथा केम्प कोर्ट में उपस्थित रहे है। तथा प्रकरण में कोई राज्य हित प्रतीत नहीं होता है। जिससे उनके जवाब की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिन खातेदारों का रकबा बैंक के रहन है उनका हिस्सा भी विभाजन से प्रभावित नहीं है अतः बैंक को सुनने की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य वादी में वादी तोलाराम का शपथ पत्र तथा नकल खतोनियां पेश की गई। वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 से 22 सहमत होने के कारण प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में वादी वकील व वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित बंटवाड़ा स्कीम अनुसार अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

सहायक कलक्टर
(रा.लो.अ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत वादीगण की इस्तदुआ के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

1. कि मौजा झलालड़ के खेत खसरा नं. 178 रकबा 10.09 बीघा में से आधा पूर्वी हिस्सा वादीगण तोलाराम तथा सम्पत के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का तथा आधा पश्चिमी हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 15 से 19 क्रमशः सालगराम, तनसुखराम, रामेश्वरी, रामकंवरी व नर्मदा के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।
2. कि मौजा कुसिया का खेत खसरा नं. 248 रकबा 6.09 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 क्रमशः किसनाराम, प्रहलादराम, डूंगाराम, छैलूराम, सीरूदेवी, कानीदेवी तथा फैना के बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी घोषित की जाती है।
3. कि मौजा झलालड़ के खेत खसरा नं. 282 रकबा 13 बीघा में से 2/3 हिस्सा पूर्वी भाग प्रतिवादीगण संख्या 20 से 22 क्रमशः बुधाराम, जेताराम, तथा भोली देवी के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है। तथा इस खेत का पश्चिमी 1/3 हिस्सा वादीगण तोलाराम तथा सम्पत के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।
4. कि मौजा झलालड़ के खेत खसरा नं. 176 रकबा 11.03 बीघा में से 5.11 बीघा पूर्वी भाग वादीगण तोलाराम तथा सम्पत के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का तथा 5.12 बीघा पश्चिमी भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 क्रमशः किसनाराम, प्रहलादराम, डूंगाराम, छैलूराम, सीरूदेवी, कानीदेवी तथा फैना के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी घोषित किया जाता है।
5. कि मौजा झलालड़ के खेत खसरा नं. 161 रकबा 2.13 बीघा तथा खसरा नं. 373/177 रकबा 8.09 बीघा को प्रतिवादी संख्या 11 व 12 क्रमशः जगदीश उर्फ जगराम तथा इन्द्रा के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।
6. कि मौजा झलालड़ के खेत खसरा नं. 372/177 रकबा 9.08 बीघा प्रतिवादी सं. 13 व 14 क्रमशः श्यामाराम व सालगराम के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।

: आदेश :

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

सुरेश कुमार प्रथम आर.ए.एस.
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार प्रथम आर.ए.एस.
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

Scanned by CamScanner